Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 5, April-2019, ISSN 2230-7540

उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका के बारे में अध्ययन

Bajrangi Mandal[1]* Dr. Sharmila[2]

[1] Research Scholar, Kalinga University, Raipur

[2] PhD Supervisor, Kalinga University, Raipur

सार – *इस लेख में हम उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अधिक संस्थान और रणनीतियाँ होने के बावजूद अभी भी भारतीय शिक्षा प्रतिस्पर्धी नहीं है और विश्व स्तर की तुलना में शैशव अवस्था का प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रीय भवन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।*

सूचक शब्द – *उच्च शिक्षा, निजी विश्वविद्यालय, भूमिका*

----------X----------

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का सबसे प्रमुख श्रोत है। यह किसी भी राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति का द्योतक है। स्वामी विवेकानन्द का यह कथन कि ‘‘हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें शिक्षा का अभाव है। अतः यदि देश को प्रगतिशील बनाना है तो सर्वप्रथम हमें जन साधारण को शिक्षित करना होगा‘‘। अतएव यह स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र में योग्य एवं कुशल नागरिकों के उचित निर्माण यानि संतुलित विकास का उत्तरदायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति की आदतों, प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों एवं दक्षताओं आदि का विकास होता है। डा0 ए0एस0 आल्तेकर ने कहा है कि ‘‘शिक्षा प्रकाश का वह श्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है।‘‘

उच्च शिक्षा कक्षा बारह की शिक्षा के उपरान्त प्रारम्भ होती है। उच्च शिक्षा, शिक्षा का वह स्तर है जो किशोरावस्था के अन्तिम चरण एवं युवावस्था के मध्य तक चलती है। यह शिक्षा देश को प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करती है। अतः जिस स्तर का नेतृत्व देश की उच्च शिक्षा विकसित करेगी उसी स्तर तक देश का विकास सम्भव हो सकेगा।

निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता

भारत में "निजी विश्वविद्यालय" का अर्थ है एक विश्वविद्यालय जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य / केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से विधिवत स्थापित किया जाता है; सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860, या किसी अन्य राज्य या सार्वजनिक ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी में लागू होने के लिए किसी अन्य संबंधित कानून के तहत पंजीकृत एक सोसायटी।

यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के अनुसार, "विश्वविद्यालय का अर्थ है कि एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम के तहत या उसके द्वारा स्थापित या शामिल किया गया विश्वविद्यालय, और इसके साथ परामर्श करके ऐसा कोई भी संस्थान शामिल हो सकता है। संबंधित विश्वविद्यालय, आयोग (यूजीसी) द्वारा इस अधिनियम (जैसे, धारा 3, यूजीसी अधिनियम के तहत समझा विश्वविद्यालयों) में इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त हो। इसका मतलब है कि, डीम्ड विश्वविद्यालय मार्ग के अलावा; संसद या राज्य विधायिका द्वारा विश्वविद्यालयों को अस्तित्व में लाने की आवश्यकता है।

निजी विश्वविद्यालय आकार, नामांकन, पाठ्यक्रम, वित्त पोषण प्राधिकरण, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता में भिन्न

www.ignited.in

हैं। केवल कुछ विश्वविद्यालय ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और कुछ गुणवत्ता से संबंधित नहीं हैं। सार्वजनिक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का सबसे अच्छा विकल्प है और फिर निजी विश्वविद्यालय आता है। निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की विस्तारित मांग के साथ सामना करने के विकल्प के रूप में उभरा। उनमें से कुछ ही मानक बनाए हुए हैं, लेकिन उन पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है

अविनियमन कार्यक्रम के बाद, निजी क्षेत्रों की भागीदारी काफी काम कर रही है। उच्च शिक्षा उप-क्षेत्र उनमें से एक है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन की एक सुधार पहल के रूप में सरकार ने 1990 के दशक की शुरुआत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नीति को स्थानांतरित कर दिया। सामान्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र का शिक्षा के तृतीयक स्तर में एकाधिकार था। उत्तर दक्षिण विश्वविद्यालय 1992 में बांग्लादेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालय है। कुछ ही समय में अधिक निजी विश्वविद्यालयों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि इन संस्थानों की गुणवत्ता, मिशन और दृष्टि के बारे में बहुत सारे प्रश्न, कुछ विश्व मानक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन प्रतिस्थापनाओं ने एक दूसरे को उन सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया है जो वे प्रदान कर रहे हैं। निजी विश्वविद्यालयों (पीयू) ने पहली बार अमेरिकी प्रणाली की उच्च शिक्षा शुरू की है। कुप्रबंधन और लाभ के उद्देश्य के बावजूद, सक्षम और बाजार उन्मुख मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए पीयू की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

निजी विश्वविद्यालयों के उद्भव और विकास ने हाल के वर्षों में एक अभूतपूर्व घटना ली है। हालाँकि, निजी विश्वविद्यालय हमारे देश में उच्च शिक्षा के अवसरों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में पीयू के खिलाफ एक व्यापक आरोप लगाया गया कि कुछ प्रमाण पत्र, आसानी से प्राप्त होने वाली डिग्री, बहुत खराब शिक्षण योग्यता, खराब बुनियादी ढांचा, उच्च ट्यूशन फीस इत्यादि बेच रहे हैं। इस संदर्भ में यह अध्ययन शिक्षा गुणवत्ता (EQ) को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है।

जमीनी हकीकत पर, इस अध्ययन ने निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों को जानने की पहल की है। इस अध्ययन के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य भी हैं। अध्ययन का सामान्य उद्देश्य बांग्लादेश में निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता का पता लगाना है। विशिष्ट उद्देश्य हैं; निजी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए; निजी विश्वविद्यालयों के इन तरीकों को जानने के लिए; और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवसंरचना सुविधाओं का पता लगाना।

निजी क्षेत्र: जरूरत और चुनौतियां

शिक्षा पर केंद्र सरकार का वित्त पोषण जीडीपी के 1% से कम है। सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता निर्माण को प्रायोजित नहीं किया। वर्तमान में 14.6 मिलियन छात्र उच्च शिक्षा क्षेत्र में नामांकित हैं। अगले दशक में 30% सकल नामांकन दर (जीईआर) प्राप्त करने के लिए फिक्की-ईएंडवाई की रिपोर्ट के अनुसार देश को 25 मिलियन नई सीटों को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त क्षमता उत्पादन के लिए अतिरिक्त रु. की आवश्यकता होगी। 2020 तक 10 लाख करोड़ रुपये धन की आवश्यकता रु. प्रति सीट 0.4 मिलियन। शिक्षा के लिए वर्तमान बजटीय आवंटन में, धन अपर्याप्त होगा। निजी क्षेत्र बजटीय आवंटन और आवश्यक आवंटन में अंतर को पाट सकते हैं।

वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का उत्पादों और प्रणालियों दोनों में भारतीय कॉर्पोरेट की गुणवत्ता में सुधार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विदेशी विश्वविद्यालयों को आवंटित करने से गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय निजी खिलाड़ियों और सार्वजनिक संस्थानों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बनेगा जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीयकरण भारतीय खिलाड़ियों के लिए सभी प्रमुख संकेतकों जैसे कि शिक्षाशास्त्र, संकाय वेतन, पाठ्यक्रम, अनुसंधान और प्रशासन में सुधार के अवसर पैदा करेगा। रहने की कम लागत और बड़ी अंग्रेजी बोलने वाली आबादी भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में एक उच्च शिक्षा केंद्र बनाने का अवसर प्रदान करती है।

संबोधित किए जाने वाले व्यापक मुद्दों में अन्य बातों के साथ, पहुंच, गुणवत्ता, इक्विटी, सामर्थ्य, समावेशिता, वित्त पोषण और विनियमन, शामिल हैं, जिनके समाधान के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

1. **खराब रोजगार**: गरीब उद्योग शिक्षा के संबंध, कौशल की उपेक्षा, वास्तविक समय की समस्याओं को हल करने में असमर्थता, पाठ्यक्रम और उद्योग की बेमेल स्नातक की खराब रोजगार क्षमता को जन्म देती है। टीम लीज सेवाओं की

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 57% युवा कुछ हद तक बेरोजगारी का शिकार हैं।

2. **निवेश पर कम रिटर्न:** कौशल और शिक्षा की खराब गुणवत्ता बेरोजगारी के बजाय कम आय में दिखाई देती है क्योंकि 58% स्नातक प्रति वर्ष 75,000 रुपये से कम कमाते हैं।

3. उत्पादों में एकरूपता का अभाव, यानी, शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रम / डिग्री। विभिन्न निजी संस्थानों द्वारा मूल्यांकन की सामग्री, शिक्षाशास्त्र और रूपों में कोई एकरूपता नहीं है।

4. प्रदाताओं के परस्पर विरोधी उद्देश्य (लाभ अधिकतमकरण, सामाजिक लाभ का अधिकतमकरण, और संस्थान का प्रतिष्ठा अधिकतमकरण)। लाभ अधिकतमकरण उद्देश्य सामाजिक लाभ और समावेशिता के उद्देश्य के साथ संघर्ष करता है।

5. क्रय शक्ति के संबंध में उपभोक्ताओं (छात्रों) के बीच व्यापक विविधता।

5. प्रदाताओं के बारे में ज्ञान की कमी; और उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता।

6. **गरीब पहुंच:** शिक्षा की बाजार संचालित लागत गरीबों को उच्च शिक्षा के दायरे से बाहर धकेलने की संभावना है। योजना आयोग के आंकड़ों ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 32 फीसदी पर ला खड़ा किया है।

उच्च शिक्षा संस्थानों को अच्छी गुणवत्ता वाले संकायों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। उच्च रैंकिंग वाले छात्र बेहतर करियर संभावनाओं के कारण उद्योग से जुड़ना पसंद करते हैं। शैक्षणिक योग्यता पर प्रतिबंध कभी-कभी उद्योग से अच्छी गुणवत्ता वाले पेशेवरों को नियुक्त करने में चुनौतियां पैदा करता है।

1. **सामर्थ्य के प्रति सावधानी बरतें**: निजी खिलाड़ियों द्वारा उच्च शिक्षा की लागत में वृद्धि पर सरकार अत्यधिक उदासीन है। हालाँकि लागत कारक को शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में माना जाना चाहिए जो लाभकारी शिक्षा संस्थानों के लिए प्रदान की जा सकती है। चार राज्यों गुजरात, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और तमिलनाडु में सामान्य गणतंत्र के बीच FICCI के एक सर्वेक्षण के अनुसार, यह पता चला था कि निजी संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में पैसे के लिए उच्च मूल्य प्रदान करते हैं।

2. **साख पर जाँच करें:** मांग बेमेल आपूर्ति निजी खिलाड़ियों को खराब साख़ के साथ आकर्षित कर सकता है ताकि सेक्टर में जमीन हड़प सकें और शिक्षा की गुणवत्ता बिगड़ जाए। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा 12 निजी विश्वविद्यालयों के अलावा 12 अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के आने की उम्मीद है। अनुमोदन देने से पहले निजी खिलाड़ियों की साख की जांच करने के लिए एक उपयुक्त नियामक ढांचा आवश्यक है।

3. **कई नियामकों:** ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई), बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल और यूजीसी जैसे कई प्राधिकरण निजी संस्थानों के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। समय आ गया है जब नियामक निकाय भौतिक अवसंरचना के आधार पर केवल लाइसेंसिंग निकायों को मंजूरी देने के बजाय प्रक्रिया, सामग्री और परिणामों की निगरानी करना शुरू करें।

उच्च शिक्षा का बढ़ता निजीकरण

पिछले दो दशकों में, तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था ने शिक्षित और कुशल श्रम शक्ति की भारी मांग को जन्म दिया है। एक गतिशील अर्थव्यवस्था की जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आश्चर्यजनक रूप से नहीं, निजी उद्यमों ने सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों के पूरक के लिए उभर के आया है, क्योंकि वे क्षमता की कमी से ग्रस्त हैं। वास्तव में, पिछले कुछ दशकों में, यह निजी क्षेत्र रहा है जिसने वास्तव में भारतीय उच्च शिक्षा में क्षमता-सृजन किया है। उच्च शिक्षा में निजी उपस्थिति को 1980 के मध्य से शुरू किया गया, जिसमें भारत सरकार (राज्यों) और राज्यों द्वारा निवेश को कम किया गया। 2001 में, जब सभी निजी शिक्षण संस्थानों में निजी उच्चतर संस्थान 42.6 प्रतिशत थे, तो 32.8 प्रतिशत भारतीय छात्र वहाँ पढ़ते थे। 2006 तक, निजी संस्थानों की हिस्सेदारी 63.2 प्रतिशत हो गई और उनके छात्र की हिस्सेदारी 51.5 प्रतिशत हो गई।

उच्च शिक्षा का निजीकरण उच्च शिक्षा पेशेवर पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जहां ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहने वाले अधिकांश संस्थान निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए गए हैं। इतना ही, फार्मेसी और

www.ignited.in

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निजी संस्थानों की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि निजी शिक्षा अपवाद के बजाय आदर्श हैं और उच्च शिक्षा का निजीकरण अब भारत में एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है। आलोचकों का तर्क है कि शिक्षा बहुत अच्छी है और विशेष रूप से सरकार के हाथों में रहना चाहिए, इससे असहमत होना मुश्किल होगा कि भारतीय उच्च शिक्षा चुनौतियों के पैमाने और जटिलता को देखते हुए, सरकार अपने दम पर सभी मुद्दों का सामना नहीं कर सकती है।

यह कहना नहीं है कि निजीकरण भारत की सभी उच्च शिक्षा समस्याओं का रामबाण इलाज है। वास्तव में, इस घटना ने अपने स्वयं के मुद्दों और चुनौतियों को निर्धारित किया है। फिर भी, यह तथ्य कि भारत में एक बोझिल युवा आबादी है जो शिक्षा को समृद्धि के टिकट के रूप में देखती है, सरकार द्वारा गिरते शिक्षा खर्च के साथ मिलकर, निजी उच्च शिक्षा के लिए एक महान मांग में तब्दील हो जाती है।

खासकर उच्च शिक्षा की भारी मांग के बावजूद व्यावसायिक शिक्षा, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन (एमएजीई) सर्विसेज ने भारत में अपनाई जाने वाली पारंपरिक ईंट और मोर्टार कैंपस मॉडल को समाप्त करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया है। इसके बजाय उन्होंने यहां शिक्षा सेवाओं के व्यवसाय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। यह व्यवसाय वर्तमान में विश्वविद्यालय की सेवाओं से लेकर आकलन, प्लेसमेंट और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक लगभग पूरी शिक्षा सेवाओं के इकोसिस्टम तक फैला हुआ है। यह कई लोगों के लिए पहेली बन सकता है कि एक कंपनी के रूप में भारत में शैक्षिक परिसरों की स्थापना क्यों नहीं कर रही है, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी के प्रवर्तकों को देश में फाई रास्ट और फाई नेस्ट निजी विश्वविद्यालयों में से एक स्थापित करने का गौरव प्राप्त है। - मणिपाल यूनिवर्सिटी

भारतीय उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण की प्रकृति की जांच हो जाने के बाद इस पहेली का उत्तर समझना आसान हो जाएगा। जो देखा जा रहा है, वह काफी हद तक, तदर्थ निजीकरण - असंख्य संस्थानों के बिना, शायद, पर्याप्त जांच और संतुलन के लिए जारी है। निश्चित रूप से, बढ़ते निजीकरण ने सार्वजनिक कॉलेजों पर दबाव कम कर दिया है, लेकिन यहां तक कि उनके सबसे उत्साही समर्थकों को यह दावा करना मुश्किल होगा कि निजी संस्थानों ने पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, अनुसंधान और विकास, और सीखने के परिणामों में बहुत सुधार लाया है। यह इस तथ्य पर विचार करने के लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि उच्च शिक्षा अभी भी अर्थव्यवस्था में सबसे विनियमित क्षेत्रों में से एक है। उच्च शिक्षा में निजीकरण कुछ तर्क-वितर्क वाली कहानी है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय उच्च शिक्षा आधे समाजवाद से आधे पूंजीवाद की ओर बढ़ गई है '

सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), दूरसंचार, बैंकिंग, आदि जैसे बदलते क्षेत्रों में निजी उद्यम द्वारा निभाई गई भूमिका स्पष्ट है। आज, आईटी की विकास की कहानी ने भारत को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर डाल दिया है। ये क्षेत्र उस प्रगति के चमकदार उदाहरण हैं जो तब किए जा सकते हैं जब निजी उद्यम को स्वतंत्र और उत्साहजनक तरीके से कार्य करने की अनुमति दी जाती है। दुर्भाग्य से, उच्च शिक्षा ऑपरेटिंग वातावरण कुछ चुनौतियां प्रदान करता है जो गंभीर खिलाड़ियों को मैदान में प्रवेश करने से रोकती हैं।

(1) शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम एवं सुविधाओं को समयानुकूल तथा बाजारोन्मुखी बनाया जाए।

(2) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सैट, जी.आर.ई. एवं जीमैट के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएं तथा एक आधार पर इनमें प्राप्त प्राप्तांक बनाया जाए।

(3) शिक्षकों के लिए सतत् प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता विकास के लिए कानून बनाया जाए।

(4) विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों तथा स्कूलों के स्तर को निर्धारित करने के स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर उनकी रेटिंग कराई जाए तथा उनका स्तर तय किया जाए।

(5) शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाए। प्रारम्भ में इसे विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा तक सीमित किया जाए।

(6) भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाले संस्थानों में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए।

(7) सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच इस बात की सहमति बनाई जाए कि वे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं से दूर रहेंगे। विश्वविद्यालयों

और अन्य शिक्षण सस्थाओं में राजनीतिक गतिविधियों पर पाबन्दी लगाई जाए।

(8) स्नातक स्तर और उससे ऊपर हर क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित किया जाए।

(9) अर्थव्यवस्था को नियन्त्रण से मुक्त किया जाए ताकि शिक्षा के लिए बाजार का विकास हो सके।

(10) विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता कम की जाए तथा उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया जाए।

(11) उच्च शिक्षा हेतु सरकार की भूमिका उच्च शिक्षा के सस्थानों की मदद करने, उन्हें कोष प्रदान करने, विद्यार्थियो के कर्ज दिलाने में वित्तीय गारण्टी देने, पाठ्यक्रम तथा उनकी गुणवत्ता में एकरूपता लाने तथा शैक्षिक विकास योजना बनाने तक सीमित की जाए।

(12) कम सरकारी सहायता पाने या नहीं पाने वाले शिक्षण सस्थानो के सचालन तथा पाठ्यक्रम चयन में कल्पनाशीलता की स्वतन्त्रता दी जाए।

(13) विज्ञान, तकनीकी, प्रबन्धन तथा वित्तीय क्षेत्रा मै पढाई के लिए नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए 'निजी विश्वविद्यालय अधिनियम' बनाया जाए। इन सुझावो से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में निजीकरण की शुरुआत हो चुकी है तथा विशेष रूप से इंजीनियरिग, चिकित्सा, प्रबधन, कम्प्यूटर, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है।

अत: वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा के निजीकरण को रोक देना अव्यावहारिक तथा अप्रासंगिक होगा। हों, इसके परिणाम आशाजनक तथा अच्छे हों इन बातों पर जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए।

सुझाव:

(i) कमजोर वर्ग के योग्य और मेधावी विद्यार्थियों को इन संस्थानों मे शुल्को में पूरी छूट मिलनी चाहिए। इन सस्थानों मे प्रवेश का आधार केवल 'मैरिट' ही रहना चाहिए।

(ii) निजी क्षेत्रों को मान्यता देते समय इस बात का सुनिश्चय हो कि वे केवल ख्याति प्राप्त सस्थाओं को ही मिले ताकि उनमे वाणिज्यिक तौर पर कमाई का साधन बनाने की प्रवृत्ति न पैदा हो।

(iii) सस्थानो द्वारा सचालित पाठ्यक्रमों तथा शिक्षण कार्य की प्रभावशीलता की नियमित जांच हो।

(iv) निजी क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों की गुणवता और उनके उत्पाद की प्रभावशीलता की जाँच के लिए भी अलग से नियमित जाच की व्यवस्था हो, ताकि वे अपनी गुणवत्ता के प्रति सजग रहें।

वर्तमान उदारीकरण के इस युग मे आर्थिक स्थिति को देखते हुए उच्च शिक्षा में निजीकरण की भागीदारी को नकारना व्यावहारिक नहीं लगता। हाँ, इसके निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाते समय इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि निजीकरण से इस पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

उच्च शिक्षा के निजी और सार्वजनिक दोनो ही क्षेत्रो मे आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है तथा इसमें व्याप्त विमगतियो को दूर कर दोनो क्षेत्रो को एक-दूसरे के पूरक और सहयोगी बनकर संचालित किए जाने की आवश्यकता है।

भारत में निजी उच्च शिक्षा की पृष्ठभूमि

भारत में उच्च शिक्षा काफी हद तक सरकार के संरक्षण में रही है और हाल ही में शिक्षा के वित्तपोषण और प्रावधान दोनों के मामले में 2000 के दशक में भारत सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत में सार्वजनिक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की बढ़ती माँग को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। यह उच्च शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर था। निजी विश्वविद्यालय परोपकारी, धार्मिक और निजी संगठनों और नींव द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और लाभ के लिए संगठनों द्वारा नहीं। वर्तमान में भारत में 165 निजी विश्वविद्यालय हैं। कुछ विश्व मानक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन गुणवत्ता संस्थानों ने शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक जमीन तैयार की है जो वे प्रदान कर रहे हैं।

हालाँकि, निजी विश्वविद्यालय हमारे देश भारत में उच्च शिक्षा के अवसरों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ व्यापक आरोप लगाए गए कि आसान डिग्री, उच्च ट्यूशन

फीस, आदि। इस संदर्भ में यह अध्ययन निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए एक पहल है जो उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। जमीनी हकीकत पर, इस अध्ययन ने निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों को जानने की पहल की है।

उपसंहार

इस अध्ययन से यह पता चला है कि भारत में निजी उच्च शिक्षा देश में शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी हो रही है। निजी शिक्षण संस्थानों के अथक और निरंतर प्रयास के बावजूद, गुणवत्ता अभी तक वांछित स्तर पर हासिल नहीं हुई है। निजी शिक्षा की लागत पर विचार करने के लिए एक और आयाम है, क्योंकि यह भारत में अप्रभावी है, और यदि लागत कम की जानी है तो अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

अनीस, (2013): निजी और सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की जॉब संतुष्टि और कार्य करने के लिए प्रेरणा और व्यावसायिक आकांक्षाओं के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन, पी.डी.एच-, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

राघवन, हेमा (2011): उदारीकरण, निजीकरण और शिक्षा का वैश्वीकरणआकलन एक:, विश्वविद्यालय समाचार, खंड.49 (37), 12-18 सितंबर, 2011। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली पृष्ठ सं. 08-10

ओलायमी, एबियोडून) ओयबेंजी-2011): नाइजीरिया में निजी विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन की ओर, शिक्षा अनुसंधान और नीति अध्ययन में उभरते रुझान के जर्नल 2 (6), पृष्ठ सं. 526-530 / स्कॉलरलिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट जर्नल्स, 2011

एम.ए. अशरफ, छात्र परिप्रेक्ष्य, पन्ना (खंड.24), (2016) से निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता शिक्षा के निर्धारक।

विदुशी (2014): व्यावसायिक संस्थानों के शिक्षकों के बीच नौकरी की संतुष्टि का एक अध्ययन, पीएचएडू .डी., महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक

जमाल, शकट ए। एन। एम।, (2002), "मानव संसाधन विकास में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका", 24 फरवरी, 2009 को लिया गया, भारत में निजी विश्वविद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता मानविकी सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (IJHSSE) पृष्ठ 144

अबू नसेर (2013), "बांग्लादेश में निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता: संकाय संसाधन और बुनियादी ढांचे के परिप्रेक्ष्य", सामान्य और सतत शिक्षा विभाग (GCE), उत्तर दक्षिण विश्वविद्यालय ढाका, Google 12 अगस्त 2015 से डाउनलोड किया गया।

एच एस आक्रेम, बांग्लादेश के निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता में शिक्षा की धारणा: छात्रों के दृष्टिकोण से एक अध्ययन, उच्च शिक्षा के लिए विपणन के पत्रिकाओं (खंड.22), (2012)।

अग्रवाल, पी। (2006)। भारत में उच्च शिक्षा: बदलाव की आवश्यकता आईसीआरआईईआर (अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद) वर्किंग पेपर नंबर 180।

स्टीवर्ट, फेल्डमैन, किम्बर्ली (2007): सार्वजनिक उच्च शिक्षा, संतुलन, शैक्षणिक, राजकोषीय और चिह्नित मूल्यों का व्यावसायीकरण। पीएचडी: न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय। निबंध सार इंटरनेशनल में, खंड 68 (7) पृष्ठ सं. 2841

Corresponding Author

Bajrangi Mandal*

Research Scholar, Kalinga University, Raipur